क्रमांक 16/13-3-जी0 एस0-II-79

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त एवम उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 26 जुलाई, 1979।

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा राशि की सुविधा प्रदान करने बारे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5093-3 जी0 एस0-II-75, दिनांक 30-4-75 के साथ प्रेषित किए गए हरियाणा स्टेट इम्पलाईज ग्रुप इन्शोरैंस स्कीम रूल्ज, 1975 के नियम 4 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पैरा में निहित उपबन्ध अनुसार ग्रुप इन्शोरैंस स्कीम हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों (केवल वर्क चार्जड, पार्ट टाईम तथा तदर्थाधार पर लगे हुए कर्मचारियों को छोड़कर) पर लागू की गई है । वर्क चार्जड कर्मचारियों को ग्रुप-इन्शोरैंस स्कीम के अन्तर्गत कवर किए जाने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । इस मामले पर विचारोपरान्त अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में वर्क चार्ज पर्सनल जो रैगुलर इस्टैबलिशमैंट पर हैं, को भी ग्रुप इन्शोरैंस स्कीम के अन्तर्गत कवर किया जाए ।

2. कृपया इस निर्णय का दृढ़ता से पालन किया जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सचिवालय स्थापना
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।